न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला—सलूम्बर

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 04 / 2023 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023 / 68

उनवान

1. श्री प्रकाशचन्द्र पिता भगवान जी मेहता उम्र बालिग, जाति ब्राह्मण, निवासी गोल, तहसील आसपुर, जिला डुंगरपुर (राज.)।

—प्रार्थी

विरूद्ध

1. श्री मावा पिता कचरा जी डांगी, उम्र बालिग, जाति डांगी, निवासी गरडा, जेताना, तहसील झल्लारा (सलुम्बर), जिला सलूम्बर (राज.)।
2. श्रीमती वरजु पत्नि मावा जी डांगी, उम्र बालिग, जाति डांगी, निवासी गरडा, जेताना, तहसील झल्लारा (सलुम्बर), जिला सलूम्बर (राज.)।
3. श्री गोता पिता मेघजी डागी, उम्र बालिग, जाति डांगी. निवासी अमलोदा. तहसील झल्लारा, जिला सलूम्बर (राज.)।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 जा.दी.

—::निर्णय::—

दिनांकः—27/05/2026

उपस्थितिः श्री दिनेश कुमार जैन अधिवक्ता — प्रार्थी
विपक्षी संख्या 1, 2, 3— एक पक्षीय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 सी. पी. सी. का प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम गरडा पटवार हल्का जेताना तहसील झल्लारा हाल जिला सलूम्बर में प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की स्वअर्जित खातेदारी कृषी भूमि स्थित है जिसकी जमाबन्दी संवत 2075—2078 अनुसार खाता संख्या 55—34 आराजी नम्बर 289 रकबा 0.05 हैक्टेयर है। उक्त वर्णित कृषि भूमि को प्रार्थी ने इसके पूर्व स्वामी विपक्षी सं. 1 मावा से दिनांक 28—07—2020 को जरिये पजीकृत विक्रय पत्र के क्रय की उस दिन से उक्त क्रयशुदा भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा भूमि क्रय करने के पश्चात् विधिवत नामान्तरण होने से प्रार्थी के नाम पृथक खाता कायम हो गया है।

विपक्षी स. 1 ने प्रार्थी के पक्ष में विक्रय पत्र प्रतिफल राशि प्राप्त कर सम्पादित किया है तथा विपक्षी नं 2 ने अपनी सहमति स्वरूप विक्रय पत्र में साक्ष्य दी है तथा विपक्षी सं 3 विपक्षी सं. 2 का भाई है जो तीनो विपक्षीगण मिलकर नाजायज लाभ लेने के लिये तथा प्रार्थी को झुठे मुकदमों में फंसाने की धमकिया आये दिन देते है। प्रार्थी की उक्त क्रयशुदा भूमि में विपक्षी का कोई हिस्सा, हित नहीं है। प्रार्थी अपनी भूमि का एकमात्र स्वामी होकर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

काबिज है, विपक्षीगण प्रार्थी को परेशान करने की गरज से आये दिन भूमि पर बने कोट को बिखेर देते है तथा प्रार्थी की फसल को नष्ट कर देते है।

प्रार्थी का मामला प्रथम दृष्ट्या है तथा सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा अपुरणिय क्षति होने का भय भी प्रार्थी को है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि मौजा गरडा पटवार हल्का जैताना तहसील झल्लारा के जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता स. 55 के आराजी नं. 289 रकबा 0.05 हेक्टर भूमि प्रार्थी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार से विपक्षीगण दखलन्दाजी नहीं करे, न ही प्रार्थी की कृषि भूमि में प्रवेश करे, कोट, बाड नष्ट करे और ना ही कोई कच्चा अथवा पक्का निर्माण कार्य और ना ही कोई अकृषि कार्य करे और ना ही अपने मवैशी उक्त वर्णित कृषी भूमी में घुसावे तथा विपक्षीगण द्वारा उक्त भूमि में किये जा रहे कृषि कार्यों में किसी प्रकार की विध्न या बाधा उत्पन्न नहीं करे न ही उक्त भूमि पर किसी प्रकार जबरन कच्चा, पक्का निर्माण करे, उक्त कृत्य न स्वंय करे ना ही अपने नौकर, चाकर या एजेन्ट से करवाये।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को प्रार्थना पत्र की प्रति के साथ जरिये नोटिस सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 बावजुद तामील के गैर हाजिर रहने से आदेशिका दिनांक 15–10–2024 को विपक्षी संख्या 1 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 2, 3 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीलाल सालवी ने वकालतनामा पेश किया। विपक्षी संख्या 2, 3 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने से आदेशिका दिनांक 02–12–2025 को विपक्षी संख्या 2, 3 के जवाब का अवसर बन्द किया गया। आदेशिका दिनांक 18–05–2025 को विपक्षी संख्या 2, 3 मय अधिवक्ता के गैर हाजिर रहने से उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली मे प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने ग्राम गरडा की आराजी नं. 289 रकबा 0.05 हेक्टेयर को दिनांक 28–07–2020 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विधिपूर्वक खरीदा था तथा नामांतरण होकर वह भूमि उसके नाम दर्ज है और वह उस पर शांतिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। इसके बावजूद विपक्षीगण प्रार्थी के स्वामित्व कृषि भूमि मे फसल एवं पत्थर की कोट (बाउंड्री) को नुकसान पहुँचा रहे हैं तथा जबरन निर्माण करने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए वाद के अंतिम निर्णय तक विपक्षीगण को भूमि में दखलंदाजी, निर्माण कार्य, फसल खराब करने एवं कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न करने से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विक्रय पत्र के अवलोकन से जाहिर होता है कि आराजी नम्बर 289 रकबा 0.05 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी ने पूर्व स्वामी विपक्षी सं. 1 मावा से दिनांक 28–07–2020 को जरिये पजीकृत विक्रय पत्र से भूमि क्रय की है। राजस्व जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 मौजा गरडा, पटवार हल्का जैताना, तहसील झल्लारा खाता संख्या 55, आराजी नम्बर 289 रकबा 0.05 हेक्टेयर भूमि मे प्रार्थी का नाम दर्ज अंकित है। विपक्षीगण को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद उन्होंने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। प्रार्थी के कथनों एवं दस्तावेजों का इस स्तर पर कोई प्रतिवाद उपलब्ध नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। सुविधा

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने पर प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वे वाद के अंतिम निर्णय तक विवादित भूमि खाता संख्या 55, आराजी नम्बर 289 रकबा 0.05 हेक्टेयर स्थित मौजा गरडा, पटवार हल्का जैताना, तहसील झल्लारा, जिला सलूम्बर में प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे एवं काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे तथा प्रार्थी के कृषि कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय दिनांक 27/05/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर